

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.1(3)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक : 28.4.2015

-: अधिसूचना :-

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, राज्य में जिला न्यायाधीश स्तर के 5 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का सृजन व स्थापन करती है, एवं इन्हें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है।


क्र.स.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार राजस्व जिला
1.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर	धौलपुर	धौलपुर (बाड़ी के MACT क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
2.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर (बालोतरा के MACT क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
3.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा	दौसा	दौसा (लालसोट, बांदीकुई व महवा के MACT क्षेत्राधिकार छोड़कर)
4.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़(भवानीमंडी व अकलेरा के MACT क्षेत्राधिकार छोड़कर)
5.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर (गंगापुर सिटी के MACT क्षेत्राधिकार छोड़कर)

राज्यपाल के आदेश से,
SD/-
(दीपक महेश्वरी)
प्रमुख शासन सचिव

:::राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर :::
क्रमांक/सामान्य/11/9/92(S)/ 538 दिनांक 2/05/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. रजिस्ट्रार (सतर्कता), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर
3. रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) रा.उ.न्या. जोधपुर को इस निवेदन के साथ की उक्त अधिसूचना की प्रति उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावें।
4. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
5. संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण।
6. संबंधित अपर जिला न्यायालय।
7. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
8. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय शाखा/ स्था.रा.न्या.से./ अधी.न्यायालय स्था./सांख्यिकी/बजट/भवन/ अंक मिलान लिपिक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।


रजिस्ट्रार(नियम)